न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01/2019

भंवरलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी सूड़सर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :—

1— अपीलान्ट की ओर से — श्री सत्यपाल सहू अधिवक्ता
2— स्टेट की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 28.06.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक **31.12.2018** से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि आदेश अदालत मातहत खिलाफ कानून उसूल ईसाफ एवं रूहेदाद मिसल के है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिजी के है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2018 निरस्त फरमाया जावे, अपील स्वीकार फरमाई जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अपीलान्ट के पिता के नाम से कृषि भूमि वाके रोही सूड़सर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खसरा नम्बर 249 तादादी 30 बीघा 2 बिस्वा संवत 2006 से पूर्व खातेदारी कृषि भूमि रही है जो संवत 2014 में खसरा नम्बर 249 तादादी 34 बीघा 12 बिस्वा एवं गोहा मार्ग 15 बिस्वा दर्ज हुई। उक्त ग्राम में भू—प्रबंध संवत 2015—2016 के दौरान खसरा नम्बर 249 के खसरा नम्बर 278 कायम कर तादादी 22 बीघा 7 बिस्वा दर्ज की गई, जो भूबंध 2061 से 2080 के दौरान गत खसरा नम्बर 278 का हाल खसरा नम्बर 341 कायम करते हुवे 5.65 हैक्टयेर भूमि दर्ज की गई। उक्त कृषि भूमि 30 बीघा 2 बिस्वा की बजाय 22 बीघा 7 बिस्वा दर्ज होने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष भंवरलाल बनाम अणची आदि वाद प्रस्तुत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner

किया गया है जिसमें रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक अन्य वाद अणची आदि बनाम भंवरलाल संस्थित है। जिसमें भी न्यायालय द्वारा दिनांक 20.5.2017 को दोनों पक्ष रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति वाद के निस्तारण तक बनाये रखने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेशों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित कर अदातल मातहत ने कानूनी भूल की है। ग्राम सूड़सर की आबादी खसरा नम्बर 337 से निकलकर विवादित गोहा मार्ग खसरा नम्बर 338 तादादी 1.65 हैक्टयेर एवं खसरा नम्बर 365 तादादी 10.07 हैक्टयेर 8 किलोमीटर लम्बा है जिसमें राजनीतिक दबाव एवं विद्वेषवश अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट बार–बार अधीनस्थ न्यायालय में टीम गठित कर एवं भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों के साथ टीम का गठन कर सही सीमांकन हेतु निवेदन करता रहा जिस पर बिना कोई कार्यवाही किये अदालत मातहत ने मनमाने तरीके से पटवारी हल्का एवं आर.आई से बिना मौका जांच किये बिना माप किये पूर्व की अतिक्रमण की रिपोर्ट को सही ठहराने की नियत से नोटिस में दर्ज 0.52 है. के स्थान पर 0.42 है. अतिक्रमण दर्ज करते हुवे बिना किसी मौके पर मौजूद अडौसी–पड़ौसी या स्वतंत्र साक्ष्य के हस्ताक्षर करवाये मात्र दर्ज कर कि सभी उपस्थितजन ने हस्ताक्षर करने इन्कार किया है, रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अदातल मातहत द्वारा 08.10.2018 को कमेटी गठित कर सीमाज्ञान हेतु लिखा गया तत्पश्चात दिनांक 12.11.2018 से पुनः रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 24.12.2018 को रिपोर्ट प्राप्त नहीं होना दर्ज करते हुए पुनः 28.12.2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत होने हेतु आदेश दिया गया एवं दिनांक 28.12.2018 को गैर सायल की अनुपस्थिति में रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल होना एवं वास्ते निर्णय 31.12.2018 को पत्रावली प्रस्तुत होना दर्ज किया गया है एवं दिनांक 31.12.2018 को गैर सायल अनुपस्थित निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया जाना एवं शामिल पत्रावली लिया जाना दर्ज किया है जबकि निर्णय दिनांक 28.12.2018 को ही लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया जाना दर्ज किया है। जिससे स्पष्ट साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये घोर मनमाने तरीके से बिना मौका रिपोर्ट पर बहस सुने बिना रिकार्ड अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है, जो खिलाफ कानून होने से काबिल खारिजी के है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2018 निरस्त फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का सूड़सर द्वारा पी– 14 में आश्य की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी भंवरलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी सूड़सर ने ग्राम सूड़सर के खसरा नम्बर 362 तादादी 10.07 हैक्टयर किस्म भूमि गैर मुमकीन रास्ता भूमि में से 0.52 हैक्टेयर भूमि पर संवत 2071 में नाजायज तारबंदी करके अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। इस पर गैर सायल को नोटिस भेजा गया। गैर सायल नोटिस जवाब प्रस्तुत किया कि बिना वास्तविक माप किये, बिना खसरा नंबर 362 की सींव के निशानात कायम किये, मात्र कयास के आधार पर जारी किया गया नोटिस मनमाना, कानून के विपरीत होने एवं खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि के दौराने नोटिस की आड़ में बदेखल करने की कुचेष्टा मात्र है। गैर सायल द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त भूमि का स्वामित्व साबित होता हो। पटवारी हल्का की रिपोर्टो से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर तारबंदी व बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषप्रद जवाब जवाब प्रस्तुत नहीं होने एवं पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का सूडसर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.12.2018 में गैर सायल भवंरलाल का खसरा नम्बर 362 तादादी 10.07 हैक्टयर गैर मुमकीन रास्ता भूमि में से 0.42 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमण करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता है। अपीलार्थी गैर मुमकीन रास्ते पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के निर्णय दिनांक 31.12.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलान्ट को ग्राम सूड़सर के खसरा नम्बर 362 तादादी 0.42 हैक्टेयर भूमि का अतिक्रमी मानते हुवे बेदखल के आदेश पारित किये गये है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड से अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 362 के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 341 जो कि अपीलान्ट के नाम से खातेदारी है, के संबंध में उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन वाद भंवरलाल बनाम अणची में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश जारी किये गये है। इससे स्पष्ट है कि यह प्रकरण सीमा विवाद से संबंधित है जिसके संबंध में कई बार पैमाईश हेतु प्रयास किये गये संयुक्त टीम गठन कर सर्वे करवाने के आदेश हुवे। अन्तिम तौर पर दिनांक 19.12.2018 को जो पैमाईश

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

की गई उसके आधार पर यह निर्णय पारित किया गया है। दिनांक 19.12.2018 को पैमाईश के समय जो फर्द मौका तैयार की गई है, का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पैमाईश केवल सरसरी तौर पर बिना किसी मुस्तकिल बिन्दू को कायम किये की गई है। जबकि पैमाईश नियमानुसार मौके पर राजस्व अभिलेख व मानचित्र के आधार मुस्तकिल बिन्दू कायम कर, जरीब चलाकर उससे प्राप्त परिणामों को अंकित करने के साथ–साथ नजरी नक्शा भी फर्द मौका का भाग होता है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस दिशा में कितनी लम्बाई–चौड़ाई एवं आसा–पासा के काश्तकारान के खेत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर पारित किये जाने के कारण खारिज योग्य है। इसके अलावा आदेशिका में निर्णय दिनांक 31.12.2018 अंकित की गई है जबकि निर्णय में दिनांक 28.12.2018 अंकित की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2018 को निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) की जाती है कि तहसीलदार अपीलान्ट के आवेदनानुसार बन्दोबस्त विभाग से पैमाईश करवाकर निर्णय पारित करें। इस हेतु अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार के बन्दोबस्त विभाग को पैमाईश हेतु लिखे जाने पर निर्णय की तिथि से एक माह में पैमाईश हेतु निर्धारित शुल्क बन्दोबस्त विभाग में नियमानुसार जमा करवाये इसमें विफल रहने पर तहसीलदार द्वारा राजस्व स्टाफ की टीम गठित कर पैमाईश करवाने हेतु स्वतंत्र होगे।

6. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर,(प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner